कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर

पत्रांक 984/14-1 दिनॉक कानपुर, 24-9-2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल .अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः– कानपुर में उ0प्र0 जल निगम द्वारा विधूना कैनाल से घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तक पानी ले जाने हेतु एन0एच0–86 के किनारे किमी0 20.800 से 61.900 तक पाइप लाइन डालने हेतु 14.385 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1258 वृक्षों एवं 1428 ब्रिकगार्ड पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ– आपकी पत्र संख्या– 625 / कानपुर / 34211 / 2018 दिनांक 19.09.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर नगर ने अपने पत्रांक 956 / 14–1 दिनांक 20.09.2018 द्वारा अवगत कराया है कि विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दोगुने क्षेत्रफल 28.77 हे0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु चिन्हित ग्राम गढोलामऊ की भूमि चयनित की गयी थी, जिसकी प्रेषित की गयी के0एम0एल0 फाइल 43.5 हे0 प्रदर्शित हो रही थी जिसे संशोघित कर ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है। संशोंघित डिजीटल मैप व सी0डी0 संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ओ0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल कानपुर

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर नगर को उनके उपरोक्त पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– परियोजना प्रबन्धक (निर्माण इकाई), उ0प्र0 जल निगम घाटमपुर कानपुर को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल कानपुर